मलिन बस्ती में पर्यावरण प्रदूषण चुनौतियाँ एवं सुझाव

रश्मि गोरे*
अंबिका सिंह**

पर्यावरण प्रदूषण और मलिन बस्ती का चोली-दामन का साथ है, क्योंकि मलिन बस्तियाँ सघन रूप से बसी हुई होती हैं और कोलाहल से परिपूर्ण, कूड़े-कचरे से भरी नालियाँ, हवा, पानी, बिजली तथा शौचालय का अभाव आदि इनकी विशेषता होती है। शहरीकरण मलिन बस्तियों के उदय का मुख्य कारण है। शहरीकरण मात्र जनसंख्या के घनत्व को इंगित नहीं करता वरन् अधिक जटिल एवं उलझी हुई समस्याओं का जनक होता है। बहुत-से लोग गाँव से नगर की ओर आते हैं तथा थोड़ी-सी भूमि पर अधिकार कर लेते हैं और वहाँ कुछ ईंट, कुछ कनस्तर, टीन के गंदे व टूटे हुए टुकड़े, लकड़ी के पुराने टुकड़े एवं पटरे के द्वारा झोपड़ी तैयार कर लेते हैं। जहाँ पर छतें या भूमि उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पर ये फ़ुटपाथ पर ही हज़ारों की संख्या में मुंबई, मद्रास, दिल्ली व कानपुर आदि नगरों में रहते हैं। इन बस्तियों में सामान्य नागरिक सुविधाओं का नितांत अभाव पाया जाता है। बिजली, पानी, शौचालय, जल निकास, सीवर आदि की सुविधाओं की अपर्याप्तता या अभाव होने से ये नगरीय बस्तियाँ प्रदूषण की केंद्र बन जाती हैं। यद्यपि, वर्तमान समय में प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के लिए अनेक अधिनियम बनाए गए। सरकार तथा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, पर वास्तविकता यह है कि अभी भी मलिन बस्तियाँ प्रदूषित वातावरण में रह रही हैं, उनको सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का पूर्णरूपेण लाभ नही मिल रहा है। इसलिए, सरकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाए साथ ही पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता संबंधित कार्यक्रमों में सहभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाया जा सके।

* *शोध छात्रा,* छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर 208016
** *असिस्टेंट प्रोफ़ेसर,* छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर 208016

Chapter 6.indd 50 8/8/2017 3:46:30 PM

प्रस्तावना

पर्यावरण प्रदूषण वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। हम अपनी सुख-सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते जा रहे हैं जिसका परिणाम ग्लोबल वार्मिंग के रूप में हमारे सामने है। पर्यावरण प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या है जो विश्व के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्रांति का सहारा लिया गया तभी से प्रकृति का संतुलन डगमगा गया। इस संतुलन के बिगड़ने से प्रदूषण रूपी एक विश्वव्यापी समस्या उत्पन्न हो गई। औद्योगिक क्रांति के फ़लस्वरूप नगरीय जनसंख्या में वृद्धि मलिन बस्तियों के रूप में हुई। मलिन बस्तियों में प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक है। यह समस्या भारत की ही नहीं, बल्कि विश्व की समस्या बन गई है, क्योंकि प्रत्येक देश चाहे वह विकसित हो या विकास की ओर अग्रसर, मलिन बस्तियाँ एवं झुग्गी-झोपड़ियाँ आवश्यक रूप से उसके अंग होते हैं। इन बस्तियों के उदय का प्रमुख कारण व्यवसाय एवं नौकरी हेतु लोगों का शहर की ओर पलायन करना है। जैसे-जैसे उन्हें रोज़गार मिलता गया, वैसे-वैसे उनके परिवार भी उनके साथ आ बसे, जिससे पानी, भोजन एवं आश्रय की समस्या उत्पन्न हुई। शहरों में इस पलायन के अनुपात में सबसे बड़ी समस्या आवास की उत्पन्न हुई। जिन शहरों में रोज़गार अधिक थे, वहाँ पर पलायन तीव्रता से हुए। मलिन बस्तियों की जनसंख्या 2001 में लगभग 43 लाख थी जो 2011 में लगभग 93 लाख हो गई तथा 2017 में 104 लाख होने की संभावना है (अरुण श्रीवास्तव 2012)। समाज वैज्ञानिकों के अनुसार मलिन बस्तियाँ नए युग की देन हैं। औद्योगीकरण के साथ शहरों में ग्रामीण क्षेत्रों से रोज़गार हेतु श्रमिकों का आगमन प्रारंभ हुआ। शहरों की ओर आने वाली इस जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया। इस जनसंख्या वृद्धि ने अनेक सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया। मलिन बस्तियाँ भी उन समस्याओं में से एक समस्या है।

बीसवीं शताब्दी में भारत में व्यावसायिक एवं औद्योगिक उन्नति के लिए बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें कार्य करने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता हुई। ग्रामीण परिवेश से आने वाले अकुशल श्रमिकों को कम आय पर रख लिया जाता है। जिससे उन्हें कम खर्च में अधिक श्रमिक मिल जाते हैं। ये श्रमिक कम आय होने के कारण सरकारी ज़मीन में अवैध रूप से अस्थायी निवास बना लेते हैं और धीरे-धीरे यह एक बस्ती का रूप ले लेता है। जहाँ अपर्याप्त आवासीय सुविधा, अधिक भीड़-भाड़, नालियाँ, वायु के आगमन का अभाव, बिजली एवं सफ़ाई की सुविधा का अभाव होता है और यहाँ एक उपसंस्कृति पनपती है जो अपने ही नियम एवं मान्यताओं का पालन करती है। जिनमें रहने वाले निवासी नगरीय समुदाय से एकात्मक नहीं होते हैं। यहाँ परिवार के स्तर से ऊपर उनका कोई भी संगठन नहीं होता है। ये दरिद्रता एवं दयनीयता, पलायन की भावना, भाग्यवाद, सहनशीलता, दीर्घ बेरोज़गारी, अल्पवेतन एवं बचत के अभाव से विशेषीकृत होते हैं। इसके साथ ही साथ बढ़ती हुई विकासशील अर्थव्यवस्था के ढाँचे

में इनकी भागीदारी सबसे कम होती है। विभिन्न समाज वैज्ञानिकों द्वारा मलिन बस्तियों के विषय में भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं तथा विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे— ब्लाइटेड एरिया (अभिशप्त क्षेत्र), डिटिरीएटेड एरिया (हीन अथवा दलित क्षेत्र), मार्जिनल एरिया (मध्यस्थ क्षेत्र), सब स्टैंडर्ड सेटलमेंट (निम्नस्तरीय व्यवस्था), अन्प्लैंड सेटलमेंट (अनियोजित व्यवस्था), प्रोविजनल सेटलमेंट (अस्थायी व्यवस्था), ओवर नाइट सेटलमेंट (रैन बसेरा व्यवस्था), अर्बन विलेज (शहरी गाँव) आदि।

पर्यावरण प्रदूषण एवं इसके प्रकार

पर्यावरण प्रदूषण से तात्पर्य हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना है, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र के नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। पर्यावरण में दूषित पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में अनेक दोष पैदा होते हैं, जो पर्यावरण को और जीव-जंतुओं को नुकसान पहुँचाते हैं।

प्रदूषण के मुख्य प्रकार निम्नवत हैं—

1. वायु प्रदूषण—वातावरण में रसायन तथा अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण को वायु प्रदूषण कहते हैं। सामान्यत: यह उद्योगों एवं मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे प्रदूषकों से होता है। धूल एवं सूक्ष्म कण श्वास के साथ फेफड़ों में पहुँचकर कई बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं।
2. जल प्रदूषण—जल में अनुपचारित घरेलू सीवेज के निर्वहन, कारखानों एवं अस्पतालों से निकलने वाले दूषित पदार्थों एवं अन्य रासायनिक प्रदूषकों के मिलने से जल प्रदूषण फ़ैलता है। यह पौधों, पानी मे रहने वाले जीवों तथा मानवों के लिए हानिकारक होता है।
3. भूमि प्रदूषण—ठोस कचरे के फ़ैलने और रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण भूमि में प्रदूषण फ़ैलता है, जिससे उत्पन्न होने वाले खाद्य पदार्थों को नुकसान पहुँचता है।
4. प्रकाश प्रदूषण—यह अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण होता है।
5. ध्वनि प्रदूषण—अत्यधिक शोर जो सुनने में अप्रिय लगे तथा जिससे हमारी दिनचर्या में बाधा उत्पन्न हो, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है, जैसे— परिवहनों का अत्यधिक प्रयोग, प्रेशर हॉर्न, भारी मशीन आदि आधुनिक उपकरण ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं।
6. रेडियोधर्मी प्रदूषण—परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियारों के अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के दौरान उत्पन्न होता है।

मलिन बस्तियों के उद्‌भव के कारण

मलिन बस्तियों का निर्माण गाँवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे लोगों द्वारा होता है। यह लोग शहरी क्षेत्र में नौकरी एवं व्यवसाय आदि कारणों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। यहाँ के निवासी अधिकांशत: गाँवों से आए वे प्रवासी होते हैं, जो परिवहन की उच्च लागत का बोझ उठाने में असमर्थ

होने के कारण अपने कार्यस्थल के निकट ही बस जाते हैं, ये सामान्यत: एक ही समुदाय, कार्यस्थल या मूल स्थान से जुड़े लोग होते हैं जो साथ-साथ रहते हैं। इनमें स्वरोज़गाररत छोटे व्यापारी, घरेलू नौकर, रिक्शा चालक, कुली, मज़दूर इत्यादि शामिल होते हैं। ये गैर-कानूनी तरीके से रेल की पटरी, सड़क के किनारे या सार्वजनिक भूमि पर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। मलिन बस्तियाँ अनियोजित तरीके से बसती हैं, जिसका विरोध निजी स्वामियों या सरकार द्वारा गंभीर रूप से नही किया जाता है, इसलिए मलिन बस्तियाँ बढ़ रही हैं। 2001 की जनगणना में 1743 ऐसे कस्बे थे, जहाँ पर मलिन बस्ती थी, जबकि 2011 की जनगणना में इनकी संख्या बढ़कर 2613 हो गई है।

मलिन बस्तियों की विशेषताएँ

मलिन बस्तियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

- आवासों एवं जगहों की कमी के कारण ये सघन रूप से बसी होती हैं। यहाँ पर पर्याप्त हवा, पानी, रोशनी एवं स्वच्छता का अभाव पाया जाता है। अधिकतर जगहों पर शौचालय एवं सीवेज निस्तारण का अभाव होता है।
- गरीबी, बेरोज़गारी एवं दीर्घ बेरोज़गारी आदि सामाजिक तनावों तथा अपराधों को जन्म देता है। सर्वेक्षण में पाया गया कि 33 प्रतिशत अपराधी मलिन बस्तियों में निवास करते हैं।
- यहाँ के निवासी मुख्यत: अशिक्षित होते हैं, जिससे उनमें आधुनिकीकरण, सामाजिक मूल्यों आदि, उचित मूल्यों का विकास नही हो पाता है। ये निवासी शराब का सेवन, ड्रग्स की लत आदि, विभिन्न प्रकार के नशों के लती हो जाते हैं।
- मलिन बस्तियों के दूषित वातावरण होने के कारण उन्हें लूट, चोरी, वेश्यावृत्ति आदि कार्य करने में कोई हिचक महसूस नही होती।

बढ़ती जनसंख्या में मलिन बस्तियों की भागीदारी

भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व में मलिन बस्ती की बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है। इनकी अधिक संख्या औद्योगिक नगरों में है। भारत में मुंबई के धारावी क्षेत्र में सबसे अधिक मलिन बस्तियाँ निवास करती हैं। राज्यों में इनकी हिस्सेदारी निम्न प्रकार है—

- 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड, असम, केरल, त्रिपुरा, पदुच्चेरी, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि ऐसे राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, जिनकी कुल मलिन जनसंख्या में एक प्रतिशत से भी कम की हिस्सेदारी है।
- मणिपुर, दमन-दीव, दादरा एवं नगर हवेली एवं लक्षद्वीप ऐसे राज्य एवं संघ शासित प्रदेश हैं, जहाँ मलिन जनसंख्या नहीं है।

मलिन जनसंख्या की सर्वाधिक भागीदारी महाराष्ट्र (18.1 प्रतिशत), आंध्र प्रदेश (15.6 प्रतिशत), पश्चिम बंगाल (9.8 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (9.5 प्रतिशत), तमिलनाडु (8.9 प्रतिशत), मध्य प्रदेश (8.7 प्रतिशत), कर्नाटक (5.0 प्रतिशत),

राजस्थान (3.2 प्रतिशत), चंडीगढ़ (2.9 प्रतिशत), दिल्ली (2.7 प्रतिशत), गुजरात (2.6 प्रतिशत), हरियाणा (2.5 प्रतिशत), ओडिशा (2.4 प्रतिशत), पंजाब (2.2 प्रतिशत), बिहार (1.9 प्रतिशत) और अन्य राज्य/संघ प्रदेशों की भागीदारी 3.8 प्रतिशत है।

2012 में संसार के विकसित देशों में लगभग 33 प्रतिशत या 863 लाख लोग मलिन बस्ती में निवास करते हैं। मलिन बस्तियाँ न केवल भारत में, बल्कि विश्व में भी बढ़ती जा रही हैं। इसके मुख्य क्षेत्र निम्न हैं— अफ्रीका (61.7 प्रतिशत), दक्षिणी एशिया (35 प्रतिशत), पूर्वी एशिया (28.2 प्रतिशत), पश्चिमी एशिया (24.6 प्रतिशत), लैटिन अमेरिका (23.5 प्रतिशत), उत्तरी अमेरिका (13.3 प्रतिशत) आदि मुख्य क्षेत्र हैं। विश्व में मलिन बस्तियों का सबसे बड़ा शहर मैक्सिको है।

मलिन बस्ती में पर्यावरण प्रदूषण के कारण

मलिन बस्ती में पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के अनेक कारण हैं, जिसमें से मुख्य निम्न हैं—

- जनसंख्या वृद्धि—मलिन बस्तियों की जनसंख्या मे वृद्धि होती जा रही है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि विश्व के लिए समस्या का विषय है। 2011 के आँकड़ों के अनुसार भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या 42,578,150 है जिसमें 22,697,218 पुरुष एवं 19,880,932 महिलाएँ हैं। श्रीमती इंदिरा गाँधी ने कहा था कि "अधिक जनसंख्या गरीबी को आमंत्रित करती है और गरीबी प्रदूषण को जन्म देती है।"
- शिक्षा का अभाव—मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों में शिक्षा का अभाव पाया जाता है, जिससे वह अपने बालकों की शिक्षा के प्रति रुचि नही लेते। उन्हें शिक्षा अतिरिक्त व्यय का साधन प्रतीत होती है। अशिक्षित होने के कारण उनमें पर्यावरण जागरूकता का अभाव पाया जाता है। जिससे वहाँ के निवासियों में कुपोषण एवं संक्रमित रोगों की अधिकता पाई जाती है।
- सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता का अभाव—सरकारी योजनाओं के निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन में व्यापक अंतर होता है। साथ ही जानकारी के अभाव में वे उन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते जो सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की गई हैं। सरकारी योजनाओं का उचित रूप से प्रचार एवं प्रसार नही हो पाता, जिससे उन्हें सही जानकारी नही मिल पाती।
- अपर्याप्त भौतिक संसाधन—मलिन बस्तियाँ बहुत सघन रूप से बसी हुई हैं, जहाँ पर स्वच्छ हवा, पानी तथा शौचालयों के अभाव के कारण प्रदूषित वातावरण पाया जाता है। यहाँ अस्थायी रूप से बोरे, टाट, बल्ली, टिन आदि से बने कमरे में आठ से दस लोग निवास करते हैं। निवास स्थान के आस-पास कूड़े-कचरे का ढेर होता है, जो बरसात में अनेक बीमारियों का कारण बनता है।
- बेरोज़गारी—बेरोज़गारी एक गंभीर समस्या है। जिसके कारण उन्हें वहाँ पर रहने को बाध्य होना पड़ता है। गरीबी एवं बेकारी के कारण वे तनाव

के शिकार हो जाते हैं, जिससे वे सामाजिक एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाते हैं और वे चोरी, लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि की ओर अग्रसर होने लगते हैं। सर्वे में पाया गया है कि इस प्रकार की घटनाओं में मलिन बस्ती के निवासियों की संलिप्तता लगभग 33 प्रतिशत पाई गई।

- दूषित पदार्थों का उचित निस्तारण न होना—कारखानों, अस्पतालों एवं घरों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को खुले स्थान पर फ़ेंक दिया जाता है, लंबे समय तक जमा रहने के कारण उससे अनेक विषैली गैसों का उत्सर्जन होने लगता है, जो वातावरण को प्रदूषित करता है। मुख्यत: इन्हीं दूषित वातावरण में मलिन बस्तियाँ बसी होती हैं।
- अभिभावकों की स्वच्छता के प्रति उदासीनता—मलिन बस्तियों के अभिभावक स्वच्छता के प्रति उदासीन रहते हैं। वह न तो स्वयं स्वच्छ रहते हैं और न ही अपने आस-पास के वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, जिसका प्रभाव उनके बालकों पर भी पड़ता है। अभिभावकों के व्यक्तित्व गुणों का प्रभाव उनके बालकों पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। वह वही सीखते हैं जो वह अपने अभिभावकों को करते हुए देखते हैं।
- उच्च सामाजिक मूल्यों का अभाव—मलिन बस्तियों के निवासियों में उच्च सामाजिक मूल्यों का अभाव पाया जाता है, जैसे—प्रेम, सहानुभूति, भ्रातृत्व, सहयोग एवं सद्भावना आदि। इससे उनमें मानसिक विकृति उत्पन्न होने लगती है। वे शराब, ड्रग्स एवं अन्य नशे के लती हो जाते हैं। लूट, चोरी, अपहरण, बलात्कार आदि घृणित कार्य करने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती है।
- आधुनिकीकरण का अभाव—मलिन बस्ती के लोगों में आधुनिकीकरण का अभाव पाया गया। जिससे उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नवीनीकरण, नयी तकनीकों के प्रयोग में अरुचि दिखाई दी, तथा उनमें रूढ़िवादिता, कट्टरपंथी, परंपरागत तरीकों को अपनाने आदि की विशेषताएँ पाई गईं। नवीन दृष्टिकोण के अभाव के कारण वे प्रदूषित वातावरण में रहने के अभ्यस्त हो गए। इसलिए, वह सरकार एवं स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों से पूर्णत: लाभान्वित नहीं हो सके।

मलिन बस्ती में पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के उपाय

यद्यपि वर्तमान समय में प्रदूषण को कम करने के अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें न केवल सरकार, बल्कि स्वयं सेवी संस्थाएँ भी कार्य कर रही हैं। लेकिन इस समस्या को और भी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

- रोज़गार उपलब्धता—शहरों की ओर पलायन रोकने के लिए गाँवों में तथा उसके आस-पास रोज़गार उपलब्ध कराए जाएँ। साथ ही उन्हें प्रशिक्षिण प्रदान कर स्वरोज़गार खोलने के लिए प्रेरित किया जाए तथा आर्थिक रूप से सरकारी मदद प्रदान की जाए। और शहरों में जनसंख्या का दबाब कम होगा और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आएगी।

- शिक्षा का प्रचार व प्रसार—शिक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाए, क्योंकि शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है, जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। शिक्षा व्यक्ति में जागरूक्ता लाती है तथा नयी जानकारी प्रदान करती है। व्यक्ति में तार्किक क्षमता का विकास करती है जिससे वह सही और गलत में अंतर करना जान जाता है। इसलिए, अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाएँ तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- मुफ़्त शिक्षा—मलिन बस्तियों के पास ही विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे उन्हें दूर न जाना पड़े। उन्हें मुफ़्त शिक्षा प्रदान की जाए, साथ ही शिक्षा सभी को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए।
- कार्यक्रमों का संचालन—सरकार तथा स्वयं सेवी संस्थाओं को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाने से संबंधित कार्यक्रम बनाने चाहिए, जिससे मलिन बस्ती में प्रदूषण के प्रति जागरूकता लाई जा सके। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जाए, साथ ही मलिन बस्ती के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
- अभिभावकों को प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता—बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होता है, वह जैसा अपने अभिभावकों को करते देखता है, वह स्वयं उसका अनुकरण करने लगता है। इसलिए, मलिन बस्ती के अभिभावकों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है, जिससे वह स्वयं स्वच्छता के महत्व को समझेंगे साथ ही बालकों को भी जागरूक करेंगे।
- पर्यावरण प्रदूषण का प्रचार एवं प्रसार—पर्यावरण प्रदूषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए प्रचार एवं प्रसार की आवश्यकता है, क्योंकि इसके अभाव में सही जानकारी प्राप्त न होने के कारण वे इस ओर ध्यान नहीं देते। वे प्रदूषण से होने वाली परेशानियों को दैवी आपदा समझने लगते हैं, जो उनकी अज्ञानता को प्रदर्शित करता है।
- शिक्षा की अनिवार्यता—कारखानों, होटलों एवं घरों में 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को काम पर न लगाया जाए, साथ ही सरकार द्वारा 14 वर्ष तक के बालकों के लिए अनिवार्य की गई शिक्षा सभी को प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि शिक्षा समाज में परिवर्तन लाने में एक सशक्त भूमिका निभाती है।
- आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति—मलिन बस्ती में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान की जाएँ, जैसे— आवास, दूध, पानी, स्वच्छ हवा, बिजली, शौचालय की उपयुक्त व्यवस्था आदि, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। जैसा कि अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।
- न्यूनतम मज़दूरी दर की अनिवार्यता—बेरोज़गारी दूर करने के लिए स्वरोज़गार का प्रशिक्षण प्रदान

किया जाए। रोज़गार के लिए बैंक से लोन प्रदान किया जाए। मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी तथा काम करने की अवधि निश्चित की जाए। निश्चित समय से अधिक काम न लिया जाए, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

- कूड़े-कचरे का उचित निस्तारण—नगर निगम द्वारा जमा किए गए कूड़े-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए, जिससे गंदगी से होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके।
- दूषित पदार्थों का रिसाइकिलिंग करना—कारखानों, अस्पतालों, होटलों तथा घरों आदि से निकलने वाले दूषित पदार्थों का उचित निस्तारण या रिसाइकिलिंग किया जाए। जिससे दूषित पदार्थों का ढेर न लगने पाए, क्योंकि दूषित पदार्थों से अनेक विषैली गैसों का उत्सर्जन होता है, जो अनेक शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का कारण होती है।

सरकार द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास

मलिन बस्तियों मे प्रदूषण एक गंभीर समस्या है। बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय बन गई है। यदि इसी प्रकार जनसंख्या बढ़ती रही तो सभी को बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना मुश्किल हो जाएगा। वर्तमान समय में न केवल सरकार, बल्कि स्वयं सेवी संस्थाएँ भी मलिन बस्तियों के विकास के लिए कार्य कर रही हैं। सरकार द्वारा प्रदूषण की समस्या को देखते हुए निम्न कानून बनाए गए—

- अधिनियम 48अ के अनुसार पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन, वन्य व वन्य जीवों की रक्षा राज्य करेगा।
- अधिनियम 51अ में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है।
- 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई।
- वायु प्रदूषण अधिनियम।
- जल प्रदूषण अधिनियम।
- ध्वनि प्रदूषण अधिनियम।

इसके अतिरिक्त, मलिन बस्तियों के लिए आवास, पानी, शिक्षा, पौष्टिक भोजन आदि मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना, सब पढ़ें आगे बढ़ें, सर्व शिक्षा अभियान आदि सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि केवल बजट आवंटन के भरोसे भारत स्वच्छ नहीं हो सकता, जब तक कि सभी नागरिकों में स्वच्छता एक आदत न बन जाए। श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा चलाए गए 2 अक्तूबर 2014 के 'स्वच्छ भारत अभियान' की तुलना महात्मा गाँधी द्वारा चलाए गए 'सत्याग्रह' से की गई, जिसमें उन्होंने अग्रेज़ों के खिलाफ़ अभियान चलाया था। दिल्ली में स्वच्छता अभियान के लिए 'इण्डोसैन' नामक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के स्वच्छता मंत्री, 500 शहरों के मेयर व उपायुक्त समेत स्वच्छता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

निष्कर्ष

कुछ समय पहले स्वच्छता के बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन अब प्रदूषण की समस्या को देखते

हुए लोगों के विचारों में परिवर्तन हुआ है। उनमें अब जागरूकता उत्पन्न हुई है, लेकिन अभी भी निम्न एवं मज़दूर वर्ग में जागरूकता का अभाव पाया जाता है। जिसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज से दो वर्ष पूर्व शपथ ली गई थी कि गाँधी जी के 150वीं जयंती पर देश को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन इसके लिए कई ठोस कदम उठाने होंगे। शहरों में जमा हो रहे अनावश्यक कूड़े-कचरे के रिसाइकिलिंग के लिए बड़े प्लांट लगाने की आवश्यकता है। स्वीडन एक ऐसा देश है, जहाँ पर शून्य कचरा है। हमें स्वीडन देश का अनुकरण करना चाहिए जिसने कचरा मुक्त देश बनाने के लिए 1904 मे पहला 'वेस्ट टू एनर्जी' संयंत्र लगा कर प्रयास आरंभ कर दिया था। यहाँ पर इस समय 32 रिसाइकिलिंग प्लांट हैं, जिससे बिजली, सड़क आदि का कार्य लिया जाता है। मलिन बस्तियों के विकास के लिए अभी और प्रयास की आवश्यकता है, साथ-ही-साथ उनका उचित प्रचार एवं प्रसार किया जाए, जिससे वे लाभान्वित हो सकें।

संदर्भ

जागरण ब्यूरो. 2016. 'सिर्फ़ बजट भरोसे स्वच्छ नहीं हो सकता भारत.' *दैनिक जागरण*. पेज 1,14.

प्रियंका. 2016. '*प्रदूषण की समस्या के कारण, प्रकार और समाधान पर निबंध कविता,*' Retrieved from www.deepawali.co.in/pollution.

श्रीवास्तव, अरुण. 2012. इंडियाज़ अरबन स्लम्स— राइज़िंग सोशल इनइक्वेलिटीज़. *मास पावर्टी एंड होमलेसनेस*. Retieved from www.globalresearch.ca/india-s-urban slum rising. www.divanarmda.blogspot.com2015m=1.

http//en.m.wikipedia.org/wiki/slum.

www.globalresearch.com

www.hindikiduniya.com

http://hi.m.wikipeadia.org/wiki/ प्रदूषण

hindi.indiawaterportal.org/node.2014/ मलिन बस्ती में शिक्षा

www.jansatta.com

www.indiaonlinepages.com

www.indianiris.com

www.jansatta.com

www.vivacepanorama.com/town-planning/ दिसम्बर 6 2015